माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 24 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार............. **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................**सदस्य।**
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– *In Re: Contagion of COVID-19 दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020* में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1:पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार परकैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में **श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल)** ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति की पहले की बैठकों में लिए गए **निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों** का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए। उन्होने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों** को कम करने की स्थिति में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या **PS/ DG(P)/2020/1925-1926 दिनांक 21.10.2020** के द्वारा दिनांक 20.10..2020 तक दिल्ली जेल में **कोविड–19 के सक्रिय केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार हैः**

जेल में बंद कैदियों के मामले : **89** (**84** ठीक हुए, **02** की मृत्यु, **03** सक्रिय,

जेल स्टॉफः 219 (**209** ठीक हुए,**10** सक्रिय मामले)

कोविड–19 के तीन सक्रिय केसों के विषय में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि एक जेल कैदी LNJP अस्पताल में भर्ती है, वही दूसरा DDU

अस्पताल में और उन्होने आगे सूचित किया कि तीसरा कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक **20.06.2020** की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन **55 वर्ष से अधिक उम्र** के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे **प्रतिरक्षा में अक्षम न** हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने उन सभी संभावित तरीकों के विषय में विचार विमर्श किया जिससे कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** जेल परिसर में प्रवेश कर सकता है। **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस**) के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया जो कि:

(ए) नए प्रवेशक जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं।

(बी) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ

(सी) राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्ति।

<u>जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि</u>

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट कर रहें हैं।** उन्होने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की **थर्मल स्क्रीनिंग** की जाती है। उन्होने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ –2 कैदियों से बात करते समय **पीपीई किट, मास्क** पहने और **सामाजिक दूरी** का पालन करें। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए को सुझाव के अनुसार स्टॉफ दो परत सुरक्षा मास्क का प्रयोग कर रहा है और मास्क के साथ –2 वे वाइसर (visor) का भी प्रयोग भी कर रहें हैं।

उन्होने आगे सूचित किया कि दिनांक 20.10.2020 तक **219 जेल स्टॉफ** कोविड पॉजिटिव पाया गये थे। जिसमें से **209** पहले ही ठीक हों चुकें है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **10** सक्रिय केस है जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड–19 पॉजिटिव** पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड–19** के प्रसार को रोका जा सके।

नए प्रवेशकों जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं, के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि **नए प्रवेशकों** को **अलगाव वार्ड** में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से **घुलने मिलने** से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न. 7 और जेल न. 8/9 मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल(संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को "**अलगाववार्ड**" के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरूष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में "**अलगाव वार्ड**" के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "**अलगाव वार्ड**" अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को **अस्थाई जेल** के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के **नए प्रवेशकों** को रखने के लिए **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सके।

<u>अस्थायी जेल : जेल में अतिरिक्त आवास</u>

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने **अस्थायी जेल** बनाने और उसे **अलगाव वार्ड** के रूप में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **12 टावर** के आबंटन के लिए **पुख्ता प्रयास** किए हैं जिसमें प्रत्येक टावर में **30 फ्लैट** हैं। प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्लीकी **अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020** के द्वारा **कोविड–19** महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों को **अस्थायी जेल** घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित कियाकि <u>पुलिस आवासीय परिसर,</u> मंडोली में **12 टावर** हैं जिसमें से प्रत्येक में **30 फ्लैट** हैं। उन्होने बताया कि **12 टावरों** में से 4 टावर बी,सी, डी और ई ब्लॉक पूरी तरह से क्रियाशील हैं। यह भी बताया गया कि इन टावरों में उन्होने 248 कैदियों को रखा है जिसे उन्होने अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि टावर जी,एच आई,जे,के एवं एल टावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि अस्थायी जेलों में पहले ही 248 कैदियों को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने**"अस्थायी जेल"** में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां**"अस्थायी जेल"** में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैटस/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो **अस्थायी जेल** के इन टावरों में लगभग **2000** कैदियों को रख सकतें हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए **अलगाव वार्ड** बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

समिति ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीर्षक "***Writ Petition(Civil) No. 3037/2020, Court on its own Motion - In Re : Extension of InterimOrders"***, दिनांक 20.10.2020 के पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश पर भी विचार किया जिसमें माननीय पूर्ण पीठ ने विचाराधीन कैदियों/दोषियों (जिन्हें समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों से **बाहर** अंतरिम जमानत/पैरोल/फरलो प्रदान की गई थी) को **दिनांक 02.11.2020 से 13.11.2020 तक अलग –2 तारीखों में** आत्मसमर्पण के लिए निर्देश दिया था

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि वे सभी विचाराधीन कैदी/दोषी **माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ** द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए **अस्थायी जेल** में **रखा** जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरूष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग **अलगाववार्ड** में रखा जाएगा।

<u>जेल अस्पताल</u>

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में **आक्सीजन से सबंधित मशीनों** के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** संबंधमें पूछताछ की। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने **आक्सीजन से सबंधित 04 मशीने** खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने **आक्सीजन से सबंधित 15 मशीनों** की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली औरा रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में **आक्सीजन से सबंधित मशीने** उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के **रेपिड एंटीजन टेस्ट** किए जा रहें हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में **आक्सीमीटर** और **ऑक्सीजन सिलेंडर** के साथ–2 **आवश्यक दवाइयों और उपकरणों** की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही हैं।

<u>अन्य एहतियाती उपाय</u>

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** के सिद्धांत का **गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसे ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में **स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार** के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसेः

(ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के **दौरा करने पर रोक**।

(बी) **कैदियों के** वार्ड से बाहर **घूमने फिरने पर रोक।**

(सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को **नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित** रखना।

(डी) सभी **नए कैदियों** को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में **पूर्व जांच** की जाती है।

(ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की **खरीद और वितरण।**

(एफ) सभी जेलों में **संदिग्ध कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के ***"Contact Tracing"*** के लिए **स्पेशल टास्क फोर्स** का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए **मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।**

(एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा **रसोई की स्वच्छता** और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग **पर बल।**

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

<u>आइटम न. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम</u>

जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहें हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार **उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ** के लिए **रेपिड टेस्ट** का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफके लिए **मास्क पहनना** अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय **सामाजिक दूरी बनाए रखने** के लिए आगाह किया गया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

<u>आइटम नंबर 3:—जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा</u>

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक **23.03.2020** को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार **समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 18.04.2020 05.05.2020 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020 और 30.08.2020** को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का ब्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों कें अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है —

दिनांक 20.10.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	3337
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	310
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	1182
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	105
दिनांक 20.10.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	4934

<u>अंतरिम जमानतः</u>

समिति के सदस्यो ने स्वयं को उस लक्ष्य का स्मरण करवाया जिसको ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक ***<u>"Suo Motu Petition (Civil) No.1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19"</u>*** के द्वारा समिति का गठन उन कैदियों के श्रेणी/वर्ग पर विचार करने के लिए किया था जिनको अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समिति का गठन, महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितयों जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन और न्यायालय के कार्य प्रतिबंधित हो गए थे, के कारण किया गया था। जिससे कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने दिनांक 13.04.2020 के बाद के आदेश का स्मरण कराया जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्यों को कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का आदेश नही दिया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह महसूस किया कि इस समिति का गठन उपरोक्त लक्ष्य को लेकर किया गया था जिसका उद्देश्य केवल जेलों की भीड़ को कम करने का हल ढूढंना और वायरस के प्रसार से बचना था और ऐसा करते समय इस बात का घ्यान रखा गया था कि इन परिस्थितियों में अंतरिम जमानत से लाभ सामाजिक गिरावट के लिए नही हो सकता है।

समिति के सदस्यो की यह रॉय है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी आधार पर की गई है और इसका अर्थ कभी भी जमानत के या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों/अनुदानों से इनकार के पूरक के रूप में नही था। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब किए गए जब लॉकडाउन और मौजूदा परिस्थितियों के कारण न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालाँकि स्थिति अब बदल गई है, इसलिए इन अस्थायी उपायों को सदा के लिए **बढ़ाया नही जा सकता** है।

भारत सरकार के दिनांक 30.09.2020 के आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A)** को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 5 के संबंध में है और जो दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी है और तदानुसार परिस्थितियों के परिवर्तन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं. **538/RG/DHC/2020** दिनांक 19.10.2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी न्यायालय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पुनः भौतिक रूप/विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुरू हो रहें हैं। इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि कि विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की सिफारिशों के मानदंडों को और **अधिक लचीला नही** बनाया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के लाभ जो कि पिछली बैठक के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक जारी रहना था, को आगे नही बढ़ाया जा रहा है।

समिति के सदस्यों का यही विचार है कि सभी न्यायालय यानि माननीय उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरह से कार्य कर रहें हैं अतः सभी विचाराधीन कैदी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कहने की आवश्यकता नही है कि इस

तरह के आवेदन जब कभी भी दायर किए जाएगें तो कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है परंतु फिर दोहराया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.20200, 05.052020, 18.05.2020, 20.06.2020 31.07. 2020 एवं 30.08.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आतें हैं** वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

<u>सजा की छूट :</u>

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि **दिनांक 28.03.2020** की उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. **F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020** के द्वारा **पात्र दोषियों को सजा की छूट** प्रदान की है। उन्होने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक **72 दोषियों** को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं.F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में **दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश** दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक **33 और दोषियों** को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः आज तक **105 दोषियों** को सजा की छूट का लाभ मिला है।

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की **सराहना** की।

<u>आइटम नंबर 4:–दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा</u>

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **30.08.2020** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होने **दिनांक 01.09.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020,*** titled ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*** **दिनांक 18.09.2020** के आदेश में जिन **2942** विचाराधीन कैदियों की **अंतरिम जमानत** को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी **अंतरिम जमानत** को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से **45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।**

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि **अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए** जाने के साथ –2 समिति के दिनांक 30.08.020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें **3337** विचाराधीन कैदी सम्मिलित है)को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि **05.11.2020** से समाप्त होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि कुछ विचाराधीन कैदियों/दोषियों (जो इस समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत नही आते हैं) को **माननीय उच्च न्यायालय** के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालयों ने भी **अंतरिम जमानत /पैरोल** दी थी। उन्होने कहा कि **माननीय उच्च न्यायालय पूर्ण खंडपीठ** ने ***"Writ Petition (Civil) 3037/2020", शीर्षक "Court on its own Motion Vs. State"*** के द्वारा और अंत में **दिनांक 24.08.2020** के आदेश के द्वारा ऐसे विचाराधीन कैदियों/दोषियों को दी गई उक्त अंतरिम जमानत/पैरोल को दिनांक 31. 10.2020 तक बढ़ा दिया गया था। उन्होने समिति को यह भी अवगत कराया कि **माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ ने अपने दिनांक 20.10.2020** के आदेश के द्वारा उक्त **अंतरिम जमानत/पैरोल को आगे बढ़ाने** के आदेश को **वापस** ले लिया है और ऐसे विचाराधीन कैदियों/दोषियों को दिनांक **02.11.2020 से 13.11.2020** तक चरणबद्ध तरीके से **आत्मसमर्पण** करने का निर्देश दिया ।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली की जेलों के अंदर की कुल आबादी लगभग 15,900 है (यथार्थ में आज तक दिनांक 24.10.2020 को 15,887 है) उन्होने समिति को सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ के दिनांक 24.10.2020 के उपरोक्त उल्लिखित आदेश के कारण 2300 विचाराधीन कैदियों/दोषियों के द्वारा दिनांक **02.11.2020 से 13.11.2020** तक चरणबद्ध तरीके से समर्पण किया जाएगा जिससे कैदियों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। वे समिति के संज्ञान में लाए कि यदि इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3337 विचाराधीन कैदियों और 1182 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है और उन्हें उसी अवधि के समाप्त होने पर दिनांक 05.11.2020 से चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो दिल्ली की जेलों की कुल आबादी 22000 तक पहुचने की संभावना है जो कि अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के

कारण असहनीय हो सकती है।

उन्होने यह भी बताया कि आज तक केवल एक अवसर पर दिल्ली की जेलों की अधिकतम आबादी 18,000 तक पहुंची है।

महानिदेशक (जेल) ने इस प्रकार तर्क दिया कि वर्तमान जेलों की जनसंख्या देखते हुए और माननीय उच्च न्यायालय की पूर्व खंडपीठ के दिनांक 20.10.2020 के आदेश के आधार पर और विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण पर विचार करते हुए यह उचित होगा कि उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत 3337 विचाराधीन कैदियों और 1182 दोषियों की अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल की अवधि को 30 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 23.10.2020 का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 23.10.2020 का पत्र को पढ़ा और महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार विमर्श किया। समिति के सदस्यों ने दिल्ली जेलों की कुल क्षमता पर भी विचार किया जो कि इस प्रकार हैः

क्रम सं.	जेल परिसर	कैदियों की संख्या
1.	तिहाड़	5200
2.	रोहिणी	1050
3	मंडोली	3776
कुल		10026

समिति के सदस्यों ने विचार किया कि आज तक इसकी क्षमता के विरूद्ध वहां पहले से ही **15887 कैदी** हैं और यहां तक कि यदि 1800 कैदियों के लिए नई बनायी गई अस्थायी जेल के अतिरिक्त आवास पर भी विचार किया जाए तो इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के तहत अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर रिहा विचाराधीन कैदियों/दोषियों को समायोजित करना जेल प्राधिकारियों के लिए अत्यंत असुविधाजनक होगा इसके अतिरिक्त जो कि माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पास दिनांक 20.10.2020 के आदेश के तहत आत्मसमर्पण करेंगे।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पारित आदेश के अनुसार जो विचाराधीन कैदी/दोषी आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें उनकी आत्मसमर्पण

की तिथि से 14 दिनों की अवधि के लिए अलगाव वार्ड में रखा जाएगा। अतः समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा दिए गए तर्कों को उचित पाया।

समिति के सदस्यों की यह राय है कि जेल प्राधिकारियों को किसी प्रकार की **अराजकता और असुविधा** को रोकना उचित होगा। यदि विचाराधीन कैदियों / दोषियों को प्रदान अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के आधार पर **दिसम्बर, 2020** को **आत्मसमर्पण** के लिए कहा जाता है तो उस समय तक माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पारित दिनांक **20.10.2020** के आदेशानुसार आत्मसमर्पण करने वाले विचाराधीन कैदियों / दोषियों को **एकांत मे रखने** की अवधि **समाप्त हो जाएगी।**

इन सभी संबंधित कारको के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अर्थात :

(ए) दिल्ली जेल की वास्तविक धारण क्षमता।

(बी) वर्तमान अधिभोग।

(सी) माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पारित दिनांक **20.10.2020** के आदेशानुसार दिनांक **02.11.2020 से 13.11.2020** तक आत्मसमर्पण करने वाले विचाराधीन कैदियों / दोषियों की संख्या।

(डी) उन्हे नियमित जेल भेजने से पूर्व उन्हें 14 दिन अलगाव वार्ड में **रखने** की अवधि।

समिति के सदस्यों की यह राय है के उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत **3337 विचाराधीन कैदियों** को प्रदान की गई **अंतरिम जमानत** की अवधि को **30 दिनों** के लिए **आगे बढ़ाए** जाने की आवश्यकता है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस **विशेष पीठ** का गठन किया गया था जिस के **दिनांक 18.09.2020** आदेश के द्वारा अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही अब **दिनांक 03.11.2020 के लिए सूचीबद्ध किया है।**

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये **3337 विचाराधीन कैदी** जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आतें हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के

लिए आवेदन उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से **किसी निजी अधिवक्ता** अथवा **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता** के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों को** इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की **30 दिन** की अवधि के लिए **सूचित करेगा।** महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग–2 न्यायालयों द्वारा **अलग–2 तारीखों में 45 दिन की अवधि** के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आघार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा ***"W.P.(C) 3080/2020*** शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs. State"***, आरंभ में दिनांक **09.05.2020** के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए **बढ़ाई गई थी** और उसी को समय–2 पर दिनांक **22.06.2020, 04.08. 2020** और अंत में **18.09.2020** को **45 दिनों** के लिए **आगे बढ़ा दिया** गया। इन **3337 विचाराधीन** कैदियों को अलग–2 तारीखों पर **अंतरिम जमानत** दी गई थी। इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके **आत्मसमर्पण** के लिए **अलग से तारीखों की आवश्यकता नही** है।

इस समिति द्वारा अंतरित जमानत को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता नही है। ऐसे सभी विचाराधीन कैदी अपने निजी वकील या **डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के** माध्यम से नियमित जमानत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भी मामला हो, और ऐसे सभी न्यायालय जमानत याचिका पर मेरिट के अनुसार विचार करेंगे। इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंड इसमें सम्मिलित नही हैं।

<u>आइटम नंबर 5:– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 4 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक</u>

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए **आपातकालीन पैरोल** प्रदान की थी। जो कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और दिल्ली में महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए उस समय महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने के लिए** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से **अपेक्षित अनुरोध** निर्देश दिया गया था।

दिनांक 30.08.2020 की अंतिम बैठक में महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को प्रदान की गई **आपातकालीन पैरोल** की अवधि आगे बढ़ाने की मांग करने के लिए निर्देशित किया था जिससे कि दोषियों को **4 सप्ताह** के लिए अधिक छूट दी जा सके। श्री बी.एस. भल्ला, प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली समिति के संज्ञान में **F.No.18/191/2015-HG/2673-79 दिनांक 26.08.2020** का आदेश लाए जिसमें महानिदेशक (जेल) के पत्र और समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सभी दोषियों की **आपातकालीन पैरोल**, जिनकी **आपातकालीन पैरोल** की अवधि **30.09.2020 को या उससे पहले** समाप्त होने जा रही है, को आगे **4 सप्ताह** के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली आगे समिति के संज्ञान में **आदेश सं. 18/191/2015-HG/3263-68 dated 06.10.2020** लाए जिसमें उन सभी दोषियों की जिनकी **आपातकालीन पैरोल** की अवधि 31.10.2020 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, को आगे **4 सप्ताह** के लिए **बढ़ा दिया गया है।**

उपरोक्त आइटम न. 4 में समिति के सदस्यों द्वारा किए गए विचार विमर्श को और जेल की आबादी को तथा माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दिनांक 20.10.2020 के आदेश को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि **1182 दोषियों** आपातकालीन पैरोल जो कि **30.11.2020 को या उससे पहले समाप्त** होने जा रही है उसे **अंतिम बार 4 सप्ताह** की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) इस आशय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का पत्र भेज सकते हैं। प्रधान सचिव (गृह) ने कहा कि वे जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से जारी आदेश/निर्देश प्राप्त करेंगे।

आइटम नंबर 6:– जेलों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग उपकरणों की आवश्यकता का जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ई मेल से प्राप्त **दिनांक 02.09.2020 का पत्र** समिति के संज्ञान में लाए जो कि **श्री अतुल कुरैकर, सदस्य (Processes) ई कमेटी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था।**

अध्यक्ष ने **म**हानिदेशक (जेल) को दिल्ली की जेलों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, **म**हानिदेशक (जेल) ने मौजूदा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधा का आकलन करने और अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए **दिनांक 21.10.2020** की पत्र सं. **F.21(117)/Comp/PHQ/NPIP/2017/CD-003471288/479** को प्रस्तुत किया।

समिति के सदस्यों ने बदलती हुई परिस्थितयों पर विचार करते हुए वर्चुअल मोड का उपयोग न केवल *न्यायालय में पेश होने* में बल्कि कैदियों की अपने वकीलों के और परिवार के साथ *कानूनी और व्यक्तिगत मुलाकात* करने में बढ़ाया है।

समिति के सदस्यों ने भी महानिदेशक (जेल) द्वारा उनके पत्र में उल्लिखित अतिरिक्त आवश्यकता को देखा और महानिदेशक (जेल) से इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण भी मांगा।

समिति के सदस्य महानिदेशक (जेल) के दिनांक 21.10.2020 के पत्र के आधार पर संतुष्ट हैं कि तिहाड़, मंडोली और रोहिणी में स्थित 16 जेलों के लिए **Sixteen (16)- I.P. based V.C. system** की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसके अलावा **Sixteen (16)- 138 cm Full H.D. LED** and **Sixteen (16)- 1.0 KVA online UPS system** की भी अतिरिक्त आवश्यकता है।

समिति के सदस्यों की रॉय है कि तिहाड़ में उपलब्ध मौजूदा LAN को **1 GBPS** से **10 GBPS** और मौजूदा **lease line** connectivity को **34 MBPS** से **100**

MBPS (मुख्य लाइन) और **MTNL** सर्किट को **2 MBPS** से **50 MBPS** (सपोर्ट लाइन) तक अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है।

किए गए विचार विमर्श को देखते हुए यह रॉय है कि **म**हानिदेशक (जेल) द्वारा प्रस्तुत पत्रांक **F.21(117)/Comp/PHQ/NPIP/2017/CD-003471288/479 dated 21.10.2020** को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित किया जाए ताकि वे इसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ई –कमेटी को कार्यवाही करने के लिए भेज दें।

<u>आइटम नंबर 7:– प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार</u>

(ए) श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता की ओर से दिनांक 13.09.2020 की रिप्रजेंटेशन जो कि दिनांक 23.09.2020 को ई –मेल से प्राप्त हुई जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को चुनौती देने के लिए रिट पटिशिन पर जल्द विचार करने के लिए उचित निर्देशों की मांग की गई है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **श्री सार्थक मागून, अधिवक्ता की दिनांक 13.09.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जो कि ई मेल के द्वारा **दिनांक 23.09.2020** को प्राप्त हुई।

समिति के सदस्यों ने रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जिसमें प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय से रिट पटिशिन पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है। जिसमें प्रार्थी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक के कार्यवृत को चुनौती दी है।

यहां यह बताना उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश में दिए गए निर्देशानुसार इस उच्चस्तरीय समिति का गठन **कैदियों के किस श्रेणी/वर्ग को अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता** है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर ही नही बल्कि **अपराध की प्रकृति** और अन्य कोई **संबंधित कारकों** पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस समिति के गठन का उद्देश्य जेलों में भीड़ को कम करना था जिससे कि जेलों के अंदर भी सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन किया जा सके।

वर्तमान रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखने पर यह पाया गया कि यह इस समिति के उद्देश्य और लक्ष्य में **नही आता** जिसके लिए इसका गठन किया गया है। समिति के सदस्यों की

एकमत राय है कि प्रार्थी के द्वारा की गई प्रार्थना या मांगी गई राहत इस समिति के **दायरे से परे** है। अतः रिप्रजेंटेशन **अस्वीकृत** की जाती है।

(बी) सुश्री इमराना की दिनांक 23.09.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें उसको प्रदान की गई पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **सुश्री इमराना पत्नी स्व. श्री नासिर की दिनांक 23.09.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जो कि ई मेल के द्वारा **दिनांक 24.09.2020** को प्राप्त हुई जिसमें उन्होने आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थी द्वारा दायर रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा और उप सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी **आदेश सं. F.No.18/191/2015-HG/3263-68 dated 06.10.2020** को भी देखा जिसमें यह कहा गया है कि माननीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि उन सभी दोषियों की, जिनकी आपातकालीन पैरोल **30.09.2020 के पश्चात और 31.10.2020** को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, **आपातकालीन पैरोल** को **चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है।**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा पास आदेश को देखते हुए वर्तमान रिप्रजेंटेशन निष्फल हो गई और तदानुसार निरस्त किया जाता है।

(सी) श्री अमित साहनी, अधिवक्ता की दिनांक 29.09.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें कैदियों/दोषियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा प्रदान की गई पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **श्री अमित साहनी, अधिवक्ता की दिनांक 29.09.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जिसमें श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय जेल मंत्राी कसे संबोधित किया गया है और उसकी प्रति समिति के अध्यक्ष को संबोधित है जिसमें उन्होने आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थी द्वारा दायर रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा और उप सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी **आदेश सं. F.No.18/191/2015-HG/3263-68 dated 06.10.2020** को भी देखा जिसमें यह कहा गया है कि माननीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि उन सभी दोषियों की, जिनकी

आपातकालीन पैरोल **30.09.2020 के पश्चात और 31.10.2020** को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, **आपातकालीन पैरोल** को **चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है।**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा पास आदेश को देखते हुए वर्तमान रिप्रजेंटेशन निष्फल हो गई और तदानुसार निरस्त किया जाता है।

(डी) श्री विनोद कुमार गर्ग की दिनांक 30.09.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें उसने आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **श्री विनोद कुमार गर्ग पुत्र श्री राम किशन गर्ग की दिनांक 30.09.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जिसमें श्री उन्होने आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने की मांग की है।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थी द्वारा दायर रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा और उप सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी **आदेश सं. F.No.18/191/2015-HG/3263-68 dated 06.10.2020** को भी देखा जिसमें यह कहा गया है कि माननीय मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि उन सभी दोषियों की, जिनकी आपातकालीन पैरोल **30.09.2020 के पश्चात और 31.10.2020** को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, **आपातकालीन पैरोल** को **चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है।**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा पास आदेश को देखते हुए वर्तमान रिप्रजेंटेशन निष्फल हो गई और तदानुसार निरस्त किया जाता है।

(ई) श्री प्रवीर रंजन, विशेष पुलिस आयुक्त NO.306/P.SEC/SPL.C.P. CRIME & EOW की दिनांक 18.06.2020 की रिप्रजेंटेशन जिसमें उन्होने समिति की पहले की गई सिफारिशों में सुधार की मांग की है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **श्री प्रवीर रंजन, विशेष पुलिस आयुक्त CRIME & EOW का दिनांक 18.06.2020 का पत्र** लाए जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक **13717/E-11/Estt.II/DHC/2020 दिनांक 14.10.2020** द्वारा डीएसएलएसए के सदस्य सचिव को प्रेषित किया गया जिसमें समिति के द्वारा पहले की गई सिफारिशों में सुधार की मांग की गई है।

समिति के सदस्यों ने विशेष पुलिस आयुक्त के द्वारा दी गई सिफारिशों को देखा और पहले की बैठकों के कार्यवृत को भी देखा। यह स्पष्ट है कि इस समिति ने इसकी दिनांक 20.06.2020 की बैठक में उन सभी विचाराधीन कैदियों को, जिन्होने इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का

लाभ उठाया और जमानत पर रिहा किए गए, को पहले ही ध्यान में रखा है। अंतरिम जमानत पर रहते हुए यदि कोई गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होता है या कोई अपराध करता है तो इस तरह के विचाराधीन कैदियों के लिए लाभ को बढ़ाया नही जाना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि इस समिति ने दिनांक 20.06.2020 की बैठक में ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए बहिष्करण खंड डाला था ताकि सिफारिश का लाभ उन्हें न मिल सके।

उसका संबंधित अंश यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है जो निम्न प्रकार से है

उपर्युक्त छह श्रेणियों के अतिरिक्त समिति ने उन विचाराधीन कैदियों को भी बाहर रखने का **निर्णय** लिया जो पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों का लाभ उठाने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हुए और उन्होने अंतरिम जमानत पर रहते हुए नए अपराध किये। ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए **बहिष्करण खंड** बनाया गया जिसमें इसे सातवीं श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया गया है।

(vii) उच्चाधिकार समिति के द्वारा उसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर प्रदान की गई अंतरिम जमानत पर छूटे वे कैदी जो अंतरिम जमानत के दौरान अपराध करने के कारण अब हिरासत में हैं।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए समिति के सदस्यों की यह राय है कि इस रिप्रजेंटेशन पर **आगे निर्देश की आवश्यकता नही है** इसीलिए इसे **निरस्त किया जाता है।**

(एफ) श्री धन मोहन, अधिवक्ता की दिनांक 05.10.2020 की रिप्रजेंटेशन, जिसमें इस समिति के साथ–2 माननीय उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के आदेश से रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण के समय के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए सुझाव के संबंध में दी गई है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव, समिति के संज्ञान में **श्री धनमोहन, अधिवक्ता की दिनांक 05.10.2020 की रिप्रजेंटेशन** लाए, जो कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के आदेश से रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण के समय के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए सुझाव के संबंध में दी गई है।

समिति के सदस्यों ने रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जिसमें प्रार्थी के द्वारा विचाराधीन कैदियों/दोषियों की अंतरिम जमानत/पैरोल/फरलो की अवधि समाप्त होने के पश्चात

आत्मसमर्पण के समय अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों को बनाने के संबंध में लिए सुझाव दिए गए है।

प्रार्थी के अनुसार जेल प्रशासन के लिए एक ही तारीख को 4500 विचाराधीन कैदियों को स्वीकार करना कठिन होगा। अतः विभिन्न विचाराधीन कैदियों के लिए आत्मसमर्पण करने की क्रमशः कुछ विभिन्न तारीखे अधिसूचित की जा सकती हैं।

समिति के सदस्यों ने प्रार्थी के सुझावों पर विचार किया। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि इस समिति ने विभिन्न बैठकों में विचाराधीन कैदियों के विभिन्न वर्गों को अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए अनेक सिफारिशे की है। यह स्पष्ट है कि इन सिफारिशों के आधार पर विचाराधीन कैदी विभिन्न तारीखों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए। इसके साथ ही दोषियों को चरणबद्ध तरीके से जेल से आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था।

इसके अतिरिक्त विचाराधीन कैदियों और दोषियों की अंतरिम जमानत के साथ–2 आपातकालीन पैरोल समय समय पर 45 दिनों के लिए /अथवा अंतरिम जमानत और आपातकालीन पैरोल की अवधि क्रमशः समाप्त होने से पूर्व आठ सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई

इसको देखते हुए विचाराधीन कैदियों और दोषियों की अंतरिम जमानत और आपातकालीन पैरोल अलग –2 तारीखों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त होगी। अतः सभी 4500 विचाराधीन कैदी/दोषी अलग –2 तारीखों को आत्मसमर्पण करेंगे जब उनकी क्रमशः अंतरिम जमानत /आपातकालीन पैरोल की अवधि समाप्त होगी बल्कि उनके आत्मसमर्पण के लिए एक विशेष तारीख से भ्रम की स्थिति पैदा नही होगी बल्कि उल्टा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो विचाराधीन कैदी/दोषी अंतरिम जमानत /आपातकालीन पैरोल/फरलो पर है वे टेलिफोन पर निरंतर जेल प्रशासन के संपर्क में हैं और अपनी संबंधित आत्मसमर्पण की तिथि के विषय में जागरूक हैं। महानिदेशक (जेल) ने न केवल इस समिति द्वारा बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने ***"Writ Petition (Civil) Number 3080/2020"***, शीर्षक ***"Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr."*** के द्वारा विचाराधीन कैदियों/दोषियों को उनकी आत्मसमर्पण करने से संबंधित तारीख बताने के लिए निर्देश दिए हैं।

प्रार्थी के द्वारा **आत्मसमर्पण करने से पूर्व कोविड–19 टेस्ट** के संबंध में दिए गए सुझाव पर आतें हैं। समिति के सदस्यों ने प्रार्थी के सुझावों पर विचार किया। यह निश्चित तौर पर **उपयुक्त** होगा यदि **आत्मसमर्पण के समय** विचाराधीन कैदी/दोषी अपनी **कोविड–19 की स्टेटस रिपोर्ट** के साथ आए। हालांकि विचाराधीन कैदी/दोषी को आत्मसमर्पण के लिए इसे किसी शर्त के रूप में नही रखा जा सकता। अन्यथा इस समिति के द्वारा यह हल किया गया

है कि सभी विचाराधीन कैदियों/दोषियों को आत्मसमर्पण के समय जेल के **नए प्रवेशकों** के रूप में व्यवहार किया जाएगा और आरंभ में उन्हें **14 दिनों की अवधि के लिए अलगाव वार्ड में रखा जाएगा।**

उपरोक्त को देखते हुए आवेदक के द्वारा दी गई सिफारिशों/सुझावों पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी/निर्देश देने की आवश्यकता नही है। अतः तदानुसार निपटारा किया जाता है।

समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए (DSLSA) को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त रिप्रजेंटेशन लगाने वाले प्रार्थियों को इस संबंध में उसके परिणाम की समस्त जानकारी प्रदान करें।

बैठक के **कार्यवृत्त का पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**श्री एस.एस. भल्ला** **प्रधान सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

....

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 24.10.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए